Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 167-2019/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 1, 2019 (ASVINA 9, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 अक्तूबर, 2019

संख्या 86/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 11 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर और इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है इसके द्वारा, उन सभी मालों पर, जिनका प्रदाय सयुंक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफ ए ओ) को उन परियोजनाओं के निष्पादन के लिए किया गया हो जो कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुबंध की सूची में दिये गए हैं, उस संपूर्ण राज्य कर से छूट प्रदान करते हैं जिसे उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन लगाया जा सकता है, बशर्ते कि भारत सरकार के कृषि तथा कृषक कल्याण मंत्रालय के किसी अधिकारी, जो उप सचिव की पदवी से नीचे का न हो के द्वारा:–

(i) ऐसे मालों की मात्रा एवं विवरण अभिप्रमाणित किया जाए; और

(ii) यह अभिप्रमाणित करे कि उक्त मालों का प्रयोग उक्त परियोजनाओं के निष्पादन के प्रयोजन के लिए आशयित है।

अनुबंध

(1) पोषण के प्रति संवेदनशील कृषि और खाद्य प्रणाली के लिए क्षमता का संवर्द्धन,

(2) हरित कृषि: विश्व पर्यावरण लाभों के लिए भारतीय कृषि में सुधार और संकटग्रस्त जैव विविधता और वन परिदृश्य का संरक्षण ।

2. यह अधिसूचना प्रथम अक्तूबर, 2019 से लागू होगी।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 1st October, 2019

No. 86/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby, exempts all the goods supplied to the Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) for execution of projects listed below in the Annexure, from whole of the State Tax leviable thereon under section 9 of the said Act, subject to the condition that an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare certifies, namely:-

(i) the quantity and description of the goods; and

(ii) that the said goods are intended for the purpose of use in execution of said projects.

ANNEXURE

(1) Strengthening Capacities for Nutrition-sensitive Agriculture and Food systems,

(2) Green- Ag: Transforming Indian Agriculture for Global Environment benefits and the conservation of Critical Biodiversity and Forest landscape.

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2019.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

57403—C.S.—H.G.P.,Chd.